

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद, जिला बारां

क्रमांक :-

340

दिनांक :-

23/06/2023

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक,

बारां

प्रसंग :- एफ 13 () एफसीए/समुवसं/2023/3141 दिनांक 14.06.2023 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :- Construction Of Road from Dikwani to Gadar Ishatori

यूजर एजेन्सी का नाम :- Executive Engineer, PWD Shahbad (Raj.)

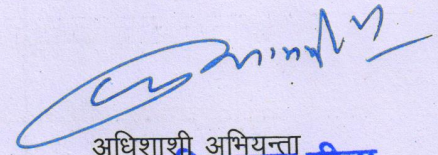
प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :- 6.21 Hac. (Baran)

प्रस्तावित जिला एवं वनमण्डल :- Baran District and Baran territorial

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :- FP/RJ/ROAD/34417/2018

1	भाग-1 के बिन्दु J में प्रस्ताव को किसी अनुसूचित क्षेत्र में स्थित होना नहीं बताया गया है, स्थिति स्पष्ट करें।	बारां जिले में किशनगंज शाहबाद सहरिया जनजाति बाहुल क्षेत्र हैं तथा बारां जिले में कोई भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं है परिपत्र की प्रति संलग्न है।
2	भाग-I के बिन्दु में प्रस्तावित रोड किसी संरक्षित क्षेत्र में स्थित होना नहीं बताया गया है। पुनः चेक करे हाल ही में घोषित कंजर्वेशन रिजर्व का भाग है या नहीं, अगर है तो तदनुसार संशोधन करावें।	यह प्रस्ताव किसी भी कंजर्वेशन रिजर्व का भाग नहीं है।
3	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण के दौरान निकलने वाले वेस्ट को केवल बाहर डालने की वचनबद्धता दी गई है। जबकि उत्पादित मक वन उपज की श्रेणी में आता हैं। उत्पादित मक में कितना रोड निर्माण में लिया जावेगा राशि का आंकलन कर विभाग में जमा कराने की वचनबद्धता प्रस्तुत की जावें।	मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।
4	जिला प्रशासन बारां द्वारा रानीपुरां ग्राम में जो गैर वनभूमि खसरा संख्या 79 व 81 का सम्पूर्ण रकबा वन विभाग को आवंटन करना बताया है जबकि प्रस्तुत नक्शों में खसरा संख्या 79 व 81 में आंशिक रूप से वनभूमि की सीमा दर्शायी गयी है। अतः स्पष्ट किया जाना उचित होगा।	इस सम्बन्ध में निवेदन है कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बारां द्वारा कुल 7 प्रस्ताव हेतु 10 खसरों में से 32.19 हेक्टर भूमि का आवंटन किया गया था। अतः कुल 10 खसरों की भूमि को प्रस्ताव अनुसार बाटा गया था। अतः उक्त प्रस्ताव के लिए खसरा नं. में आवंटन के एम.एल द्वारा दर्शाया गया है। रिकॉर्ड संशोधित कर दिया गया है।
5	पार्ट-आ के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि रक्षित वनभूमि है। इसके गजट नोटिफिकेशन की प्रति अपेक्षित है।	श्रीमान उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
6	प्रस्ताव में कुल 1225 पेड़ आ रहे हैं, इन पेड़ों की कटाई की आवश्यकता है या नहीं स्पष्ट करें। यदि पेड़ों का कटान होना है तो उनके काटने तथा वन विभाग के डिपों तक पहुँचाने का व्यय प्रयोक्त अभिकरण वहन करेगा इस आशय की वचनबद्धता लेवें।	वचनबद्धता संलग्न कर दी गई हैं।
7	आपके द्वारा प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर 6 फिट ऊँची दीवार तथा दोनों क्षेत्रों को जोड़ने एवं 4-5 अण्डरपास के निर्माण प्रस्तावित किये हैं। किन्तु इसका कोई युक्तियुक्त आधार नहीं बताया गया है। आण्डरपास कहाँ-कहाँ बनेंगे स्पष्ट नहीं है। साथ ही जी.पी.एस. कोर्डिनेट्स भी उपलब्ध नहीं कराये हैं इन कार्यों का प्रयोक्ता अभिकरण से चर्चा कर पुनः विश्लेषण करें। अगर कोई कार्य करवाया जाना है तो उसे स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में शामिल करें।	प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर 6 फीट ऊँची दीवार बनाने से प्रोजेक्ट की लागत बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी जो कि फिजिबल नहीं है तथा सड़क में दो अण्डर पास बना दिये जायेंगे जिसके कोर्डिनेट्स दर्शा दिये गये हैं। जो निम्न प्रकार है - 25 07'02.72 25 05'38.23 77 04'55.28 77 06'14.31

थल निरीक्षण रिपोर्ट पूर्ण प्रतीत नहीं होती हैं। रिपोर्ट के बिन्दु ए व बी में जो लागू हो उसे बोल्ट किया जाना अपेक्षित है और बिन्दु सी में वांछित अनुसार रिपोर्ट अपेक्षित है।	श्रीमान उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
9 चैक लिस्ट 18 व 20 में प्रत्यावर्तित वन भूमि 6.21 हैक्टर की एवज में प्राप्त गैर वन भूमि 10 खसरा नम्बरों में होना बताया है जबकि ले-आउट प्लान में दो खसरा नम्बर में होना दर्शाया है। इसके अलावा नक्शों पर मार्ग सीमा अनुसार पिल्लर संख्या 1 से 9 के बीच में कुछ भूमि छुटी हुई जिसका कोई औचित्य नहीं है। यही भूमि जी. टी. शीट पर 6 जगह बताई गई हैं। स्थिति स्पष्ट करें तथा रिकार्ड संशोधित करें।	उक्त प्रस्ताव हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बारों द्वारा कुल 7 प्रस्ताव हेतु 9 खसरों में से 32.19 हेक्टर भूमि का आवंटन किया गया था। अतः कुल 9 खसरों की भूमि को प्रस्ताव अनुसार बाटौं गया था। अतः उक्त प्रस्ताव के लिए खसरा नं. में आवंटन के.एम.एल द्वारा दर्शाया गया है। रिकॉर्ड संशोधित कर दिया गया है।



अधिशायी अभियन्ता
हर प्रसाद मीना
 सा.नि.वि. खण्ड-शाहबाद

खण्ड, शाहबाद